

>

Title: Election of two Members from Lok Sabha to the Marine Products Export Development Authority (MPEDA).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): On behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to move the following:-

“That in pursuance of clause (c) of sub-Section (3) of Section (4) of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 read with rule 4(1) of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Marine Products Export Development Authority subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा (4) की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

